जनपद गाजियाबाद   प्रेस विज्ञप्ति   दिनांक 25.04.19

520 नशीली गोलियों सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तारः– थाना कोतवाली पुलिस द्वारा दिनांक 25.04.19 को समय 09:30 बजे मैट्रो अण्डरपास से अभियुक्त आमिर अली पुत्र वकील निवासी ताज कालौनी कस्बा व थाना मसूरी गा0बाद को गिरफ्तार किया हे जिसके कब्जे से 520 नशीली गोलियॉ (एल्प्राजोल्म) बरामद हुयी है।

01 गांजा तस्कर गिरफ्तार- थाना कविनगर पुलिस ने दिनांक 24-04-2019 की रात्रि को समय 23:30 बजे लोहा मंडी फ्लाईओवर के टी प्वाइंट से करीब 100 मीटर दूर सड़क किनारे से 01 गांजा तस्कर शक्तिमान उर्फ विपिन पुत्र नरेश सिंह निवासी जैतपुर थाना मोहम्मदाबाद जनपद फर्रुखाबाद हाल पता- लेबर चौक घंटाघर कोतवाली गाजियाबाद को मय डेढ़ किलो गांजा सहित गिरफ्तार किया है मु.अ.स.869/2019 धारा 8/20 NDPS एक्ट थाना कविनगर गाजियाबाद पर पंजीक्रत किया गया है

01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 622 ग्राम अवैध गांजा बरामद- थाना सहिबाबाद पुलिस द्वारा दिनांक 25.04.2019 को प्रातः समय 03.15 बजे पुरानी चौकी सीमा के पास से अभियुक्त जुगल उर्फ बधिया पुत्र रतन सिंह नि0 ग्राम मधरई थाना जटरा जनपद टीकमगढ मध्य प्रदेश। को गिरफ्तार किया है। जिसके कब्जे से 622 ग्राम नाजायज गांजा बरामद हुआ है।

03 हथियार तस्कर गिरफ्तार , कब्जे से 11 अवैध असलहे बरामद – थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस ने दिनाक 24.04.19 को समय 18.00 बजे चैकिग के दौरान शमशान घाट मोड के पास रामपार्क से 03 हथियार तस्कर अभियुक्तगण गौरव, राशिद, वाहिद उर्फ गुड्डू को गिरफ्तार किया है जिनके कब्जे से **11 अवैध असलहे** (01 पिस्टल 32 वोर,01 रिवाल्वर 38 वोर, 09 तमन्चे , 6 जिन्दा कार0) व 01 बाईक बरामद हुई है

गिरफ्तार अभियुक्तों दवारा जमालपुर, मुंगेर विहार से पिस्टल, रिवाल्वर व तमन्चे सस्ते दामों पर खरीदकर लाकर एनसीआर क्षेत्र में मोटी रकम लेकर बेचने का कार्य किया जा रहा था। जिनका गैंगलीडर गिरफ्तार अभियुक्त गौरव पूर्व में भी अवैध शस्त्रों की वरामदगी में जेल जा चुका है। जिसके द्वारा एनसीआर क्षेत्र के नवयुवकों को अधिक धन का लालच देकर उक्त धन्धे में संलिप्त किया जा रहा था।

अपराध करने का तरीका-

अभियुक्तगण शातिर किस्म के अवैध हथियार के तस्कर है उक्त गैंग का गैंगलीडर गौरव है जो पूर्व में भी अवैध हथियारों की तस्करी में जेल जा चुका है। ये लोग ट्रेन से दिल्ली से जमालपुर, मुंगेर जाते थे वहाँ पर जब इनको हथियारों की डिलीवरी मिल जाती थी तब आते समय अपना मोबाईल स्विच ऑफ करके आते थे एक बार में दो व्यक्ति जाते थे एक पास अवैध असले रहते थे एक व्यक्ति खाली हाथ रहकर चैकिग व पुलिस की गतिविधियों पर नजर रखता था।

गिरफ्तार अभियुक्तो का विवरण-

1- गौरव पुत्र कपिलदेव नि0 25 फुटा रोड खुशहाल पार्क ट्रोनिकासिटी गा0वाद **(गैंगलीडर)**

2-राशिद पुत्र युसुफ नि0 आजाद इन्कलेव थाना ट्रोनिकासिटी गा0वाद

3-वाहिद उर्फ गुड्डू पुत्र जाकिर नि0 पावी थाना ट्रोनिकासिटी गा0वाद

बरामदगी -

1- 01 अदद रिवाल्वर 38 वोर,3 तमन्चा 315 वोर नाजायज राशिद - केकब्जे से

2- 4 तमन्चे 315 वोर नाजायज वरामद व 03 कार0 नाजायज गौरव - के कब्जे से

3- 01पिस्टल 32 वोर व 2 तमन्चे 315 वोर व 3 कार0जिन्दा वाहिद उर्फ गुड्डू- के कब्जे से

4- एक मो0सा0 स्पलेन्डर सीज शुदा न0- HR-42 C-8357

आपराधिक इतिहास-

1-गौरवपुत्रकपिलदेव नि0 25 फुटा रोड खुशहाल पार्क थाना ट्रोनिकासिटी गा0वाद

मु0अ0स0 274/19 धारा 3/25 ए एक्ट

मु0अ0स0 631/16 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट

मु0अ0स0 632/16 धारा 25 ए एक्ट

मु0अ0स0 335/18 धारा 3/25 ए एक्ट

2-राशिद पुत्र युसुफ नि0 आजाद इन्कलेव थाना ट्रोनिकासिटी गा0वाद

मु0अ0स0 273/19 धारा 3/25 ए एक्ट वनाम राशिद

3-वाहिद उर्फ गुड्डू पुत्र जाकिर नि0 पावी थाना ट्रोनिकासिटी गा0वाद

मु0अ0स0 275/19 धारा 3/25 ए एक्ट वनाम वाहिद उर्फ गुड्डू

250 ग्राम नशीला पाउडर सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तारः– थाना लोनी पुलिस द्वारा दिनांक 24.04.19 को समय करीब 21:50 बजे नसबन्दी तिराहे से अभियुक्त सलमान पुत्र रहीश निवासी डाबर तालाब के सामने थाना लोनी गा0बाद को गिरफ्तार किया है जिसके कब्जे से 250 ग्राम नशीला पाउडर(एल्प्राजोलम) बरामद हुआ है।

03 जालसाज अभियुक्त गिरफ्तार ,कब्जे से धोखाधड़ी की घटनाओ मे प्रयुक्त फर्जी चैक मय एक क्लोनर फोर मेट चैक,फर्जी आधार कार्ड, प्रिन्टर,फर्जी क्लोनर फोरमेटचैक बुक ,लैपटाप ,स्कैनर आदि बरामद:-

थाना कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 318/19 धारा 419/420/467/468/471 भादवि से सम्बन्धित 03 नफर अभियुक्त को गिरफ्तार किया है । जिनके कब्जे से   फर्जी चैक मय एक क्लोनर फोर मेट चैक ,फर्जी आधार कार्ड, ,प्रिन्टर,फर्जी क्लोनर फोरमेटचैक बुक ,लैपटाप ,स्कैनर आदि बरामद हुये है ।

गिरफ्तार अभियुक्तो के नाम व पता-

1.कुलदीप तोमर पुत्र श्री विजयपाल सिंह नि 0- खेड़ापला थाना पहासू जिला बुलन्दशहर उम्र-30 वर्ष

2.मुकेश पुत्र श्री निरोत्तम नि0- नि 0- खेड़ापला थाना पहासू जिला बुलन्दशहर उम्र-21 वर्ष

3.जीतू शाह पुत्र स्री संजय शाह नि0- ग्राम मुन्दीचक जिला भागलपुर बिहार हाल पता- इटेड़ा मे देवराज का मकान थाना बिसरख जिला गौतमबुद्धनगर । उम्र-21 वर्ष

फरार अभियुक्तो के नाम -

4. बच्चू सिंह नि0-अज्ञात (फरार)

5. यादव उर्फ दीपक सैनी नि0- अज्ञात (फरार)

घटना करने का तरीका –अभियुक्तगणो द्वारा बैंको के ड्रोप्ट बॉक्स से मूल चैक मय हस्ताक्षरित चोरी करना तथा उनका क्लोन बनाकर अपने नाम से बैंक मे जाकर फर्जी तरीके से पैसे निकालना तथा जिसके नाम चैक होता था उसके नाम का फर्जी आधार कार्ड़ तैयार करके बैंक से पैसा निकालना ।

बरामदगी-

1. फर्जी चैक मय एक क्लोनर फोर मेट चैक
2. फर्जी आधार कार्ड
3. प्रिन्टर
4. क्लोनर फोरमेटचैक बुक
5. लैपटाप
6. स्कैनर

आपराधिक इतिहासः-

मु0अ0सं0 318/19 धारा 419/420/467/468/471 भादवि थाना कोतवाली नगर

मु0अ0सं0-401/19 धारा-420 भादवि0 थाना मोदीनगर गाजियाबाद

मु0अ0सं0-0668/19 धारा-420/467/468/471 भादवि0 थाना सिहानीगेट गाजियाबाद

ई रिक्शा चोरी करने वाले गिरोह के 03 अभियुक्त गिरफ्तार कब्जे से चोरी के 02 ई रिक्शा, 2500 रुपये नगद व नशीला पाउडर बरामद:-   थाना कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर ई-रिक्शा चालको को किराये के नाम पर बुक करके सुमसान राह पर ले जाकर कोल्ड्र ड्रिंक व चाय मे नशे का पाउड़र मिलाकर चालक के नशे मे होने पर ई-रिक्शा व उसका अन्य सामान चोरी करने वाले गिरोह के 03 सदस्यों को गिरफ्तार किया है जिनके कब्जे / निशानदेही पर 02 ई-रिक्शा, 2500 रूपये नगद व 300 ग्राम नशीला पाउडर बरामद हुआ है

गिरफ्तार अभियुक्तगणो के नाम -

1. शमीम पुत्र हनीफ नि0-नूर गंज् थाना मुरदानगर गाजियाबाद
2. सरताज पुत्र अनवार नि0-गली न0 24 जाकिर कालोनी थाना लिसाड़ी गेट मेरठ

3. सुनील पुत्र त्रिलोक नि0- सैक्टर 63 बहलोलपुर थाना फैस 3 नोएड़ा

नोट - 02 नफर अभियुक्त फरार

बरामदगी-

1 - 01 ई- रिक्शा (मु0अ0सं0 323/19 धारा-379 भादवि थाना कोतवाली नगर से सम्बन्धित)

2- 150 ग्राम नशीला पाउड़र एल्प्राजोलाम (मु0अ0सं0- 325/19 धारा-8/20क एन0ड़ी0पी0एस एक्ट से सम्बन्धित)

3- 150 ग्राम नशीला पाउड़र एल्प्राजोलाम (मु0अ0सं0- 326/19 धारा-8/20 एन0ड़ी0पी0एस0 एक्ट से सम्बन्धित)

4- 2500 रूपये ई-रिक्शा को बेचकर हिस्से मे आये रूपयो मे से (मु0अ0सं0- 300/19 धारा 328/379 भादवि0 से सम्बन्धित)

5- 01 ई-रिक्शा बरामद (मु0अ0सं0- 327/19 धारा-411/414 भादवि0 से सम्बन्धित)

दिनांक 23.03.2019 की रात्रि में 01 महिला की हत्या में शामिल अभियुक्त को पुलिस कस्टडी रिमाण्ड पर लाकर हत्या से सम्बन्धित आलाकत्ल चाकू गाडी स्कोरपियों व मृतका का पैन कार्ड, आधार कार्ड आदि बरामदः— दिनांक 23.04.2019 को 01 महिला की हत्या में शामिल अभियुक्त नितिन कसाना उर्फ यतेन्द्र सिंह को आज दिनांक 25.04.2019 को कारागार मण्डौली दिल्ली से पुलिस कस्टडी रिमाण्ड पर लेकर हत्या में प्रयुक्त 01 अदद चाकू, 01 कार स्कोरपिओ एवं मृतका का पैन कार्ड व आधार कार्ड आदि को टीला मोड के पास खाली पडी जगह से बरामद करने की सफलता प्राप्त की हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः—

1. नितिन कसाना उर्फ यतेन्द्र सिंह पुत्र खेमराज नि0 ग्राम सकलपुरा थाना लोनी गा0बाद।

फरार अभियुक्तः—

1—राहुल निवासी सकलपुरा

बरामदगी का विवरणः—

1. 01 अदद चाकू आलाकत्ल
2. स्कोरपियों कार नं0 UP14CJ2300 (हत्या में प्रयुक्त)
3. मृतका का पैन कार्ड व आधार कार्ड आदि।

अभियुक्त से पूछताछ का विवरणः— दिनांक 23.03.2019 को 01 महिला की हत्या के सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु0अ0सं0 752/19 धारा 302/201 भादवि बनाम नितिन कसाना व राहुल नि0गण सकलपुरा पंजीकृत कराया गया था। मृतका का शव दिनांक 24.03.2019 को ग्राम डगरपुर थाना खेकडा जिला बागपत में मिला था जिसका पोस्टमार्टम थाना खेकडा द्वारा कराया गया था। अभियुक्त नितिन उपरोक्त का पिछले काफी समय से मृतका के साथ मिलना जुलना व दोस्ती थी। मृतका अभियुक्त नितिन पर पैसों की मांग को लेकर दवाव बना रही थी और मॉग पूरी न करने पर फर्जी केस में फसानें की धमकी दे रही थी। इसी के चलते अभियुक्त नितिन उपरोक्त ने अपने साथी राहुल निवासी सकलपुरा के साथ मिलकर दिनांक 23.04.2019 की रात्रि में मृतका को अम्बे हास्पीटल पर मिलने के बहाने बुलाकर दोनों ने स्कोरपिओं गाडी में बिठाकर चाकुओं से हत्या कर दी थी तथा शव को ग्राम डगरपुर के रवजाहे में फेंक दिया था तथा अभियुक्त ने दिल्ली कोर्ट में आत्मसर्मपण कर दिया था जिससे अभियुक्त को मा0 न्यायालय ने मण्डौली कारागार में भेज दिया था।